

अध्याय — एक

निगम के अनिवार्य तथा विवेकाधीन कर्तव्य

नगर पालिक निगम जिला देवास की स्थापना दिनांक 14.06.82 में की गई। वर्तमान में म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 व उसके अंतर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही है।

1. परिषद के मुख्य कर्तव्यों व कार्यों का विवरण नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 66 व 67 में विनिर्दिष्ट है:—

1. अनिवार्य कर्तव्य :—

- (अ) सार्वजनिक सडकों, स्थानों तथा भवनो को प्रकाशित करना,
- (आ) सार्वजनिक सडको, स्थानों तथा मोरियों एवं समस्त ऐसे स्थानों को साफ करना जो निजी सम्पत्ति न हो तथा जो सार्वजनिक उपयोग के लिये खुले हो, चाहे ऐसे स्थान नगर पालिका में वेष्टित हो या नही, हानिकारक वनस्पतियों को हटाना, और समस्त सार्वजनिक व्याधाओ को दूर करना,
- (इ) विष्टा तथा निरर्थक पदार्थ का निराकरण और यदि ऐसा वांछनीय समझा जाय तो विष्टा तथा निरर्थक पदार्थ से मिश्रित खाद तैयार करना,
- (ई) अग्नि बुझाने के लिये अग्नि शामक दल को रखना तथा अग्नि लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना:
- (उ) भंयकर अथवा उद्धेजक व्यापारों अथवा प्रथाओ को नियमित अथवा समाप्त करना:
- (ऊ) सार्वजनिक सडको या स्थानों में तथा ऐसे स्थानों में जो निजी सम्पत्ति न हो जो जन-उपयोग के लिये खुले हों चाहे ऐसे स्थान निगम वेष्टित हों अथवा शासन में बाधाओं तथा प्रलम्बनों को हटाना:
- (ए) कांजी हौसों को स्थापित करना तथा उनका प्रबंध करना:
- (ऐ) भंयकर भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना अथवा हटाना:
- (ओ) मृतक व्यक्तियों के निराकरण के लिये तथा अनधियाचित शवों के तथा अकिंचनों के शवों के निराकरण के लिए स्थानों को प्राप्त करना, व्यवस्थित रखना, परिवर्तन करना, तथा नियमित करना:
- (औ) सार्वजनिक सडको, पुलियाओं तथा निगम के सीमा चिन्हों, सण्डासों, मूत्रालयों, जल-निकासों, मोरियो का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें वयवस्थित रखना, तथा जनसाधारण की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना: सार्वजनिक सडको तथा स्थानों में पानी का छिडकाव करना:

- (अं) समस्त नगर पालिक जल कार्यों का प्रबंध तथा उनको व्यवस्थित रखना और सार्वजनिक एवं निजी आशयों के लिए उपयुक्त जल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था करने के लिए नये कार्यों तथा साधनों का निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना:
- (अः) शौचालयों, शौचकक्ष व्यवस्थाओं, मूत्रालयों तथा जनता के लिए अन्य सुविधाओं का नगर पालिका की भूमि पर उचित तथा सुविधाजनक स्थिति में निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना एवं उनकी सफाई:
- (क) सार्वजनिक बाजारों तथा वधशालाओं का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना और समस्त बाजारों तथा वधशालाओं का नियमन:
- (ग) एम्बुलेन्स सेवा को व्यवस्थित रखना:
- (घ) सड़को का नाम रखना तथा गृहो पर संख्या डालना:
- (ङ) जन्मों, विवाहों तथा मृत्युओं का रजिस्ट्रेशन करना:
- (च) जनता को टीका लगाना:
- (छ) प्राथमिक पाठशालाओं को स्थापित करना तथा व्यवस्थित रखना:
- (ज) संक्रामक रोगों के प्रारम्भ, प्रसार तथा पुनरावृत्ति की रोक करने के लिए उपाय ग्रहण करना:
- (झ) नगर पालिक कार्यालय को तथा समस्त सार्वजनिक स्मारकों तथा निगम में वेष्टित अन्य सम्पत्ति को व्यवस्थित रखना:
- (ञ) यातायात चिन्हों की व्यवस्था:
- (ट) नगर के प्रशासन के संबंध में ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तथा विवरण-पत्र छापना तथा प्रकाशित करना जैसी कि शासन, व्यापक या विशेष आज्ञाओं द्वारा, उसे प्रस्तुत करने को आदेशित करे:
- (ठ) विद्यमान तथा निगम में वेष्टित सार्वजनिक उद्यानों, बगीचों, आमोद स्थलों, सार्वजनिक स्थानों तथा खुले हुए स्थानों को व्यवस्थित रखना:
- (ड) इस विधान द्वारा अथवा तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य विधान द्वारा आरोपित किसी उत्तरदायित्व को पुरा करना:
- (ढ) पशु-औषधालयों का निर्माण करना तथा उनको व्यवस्थित रखना:

2. इसके अतिरिक्त नगर पालिक निगम परिषद अधिनियम की धारा 67 के खण्ड अ से ह में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिक निगम की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है।

(अ) अस्वास्थ्यकर बस्तियों का पुनरुद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो अथवा नहीं, नवीन सार्वजनिक सड़को को डालना तथा उस आशय के लिए भूमि प्राप्त करना जिसमें ऐसी सड़को पर मिलने वाले भवनों के लिए भू-भाग सम्मिलित होंगे:

- (आ) सार्वजनिक उद्यानों अथवा बागों, पुस्तकालयों, कौतुकालयों, सभा भवनों, नाट्य-गृहों, क्रीडांगणों, कार्यालयों, सरायों, विश्राम-गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों की रचना करना, स्थापना करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना:
- (इ) नगर पालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों को रहने के लिए निवासगृहों का निर्माण करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना:
- (ई) नहाने तथा धोने के स्थानों की रचना, व्यवस्था तथा सफाई:
- (उ) प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना तथा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना तथा शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देना:
- (ऊ) मार्ग के किनारे के तथा अन्य वृक्षों को लगाना एवं उनका पोषण करना:
- (ए) जन गणना करना तथा ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जीवन के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रारकन प्राप्त हो सके, पारितोषिक प्रदान करना:
- (ऐ) संवीक्षण करना:
- (ओ) स्वामी रहित कुत्तों, या आवारा घुमने वाले सूअरों का विनाश या निरोध या व्याधा उत्पन्न करने वाले पशुओं का निरोध:
- (औ) उद्वेजक व्यापारों या प्रथाओं को चालू रखने के लिए उपयुक्त स्थानों को प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना:
- (अं) निगम द्वारा व्यवस्थित जलकार्यों से निजी गृहोपान्तों को जल प्रदाय करने के लिए नल तथा अन्य फिटिंगों का प्रदाय करना, निर्माण करना तथा व्यवस्थित रखना:
- (अ:) निजी गृहोपान्तों पर या उनके उपयोग के लिए उनका गन्दा पानी निगम के नियंत्रणाधीन मोरियों में प्राप्त करने या डालने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों, तथा अन्य उपकरणों का प्रदाय करना, निर्माण करना तथा उन्हें व्यवस्थित रखना:
- (क) मेले तथा प्रदर्शनियों, या व्यायाम प्रदर्शन या खेल प्रतियोगिता या टूर्नामेण्ट्स:
- (ख) ऐसे मार्गों तथा भवनों तथा अन्य शासकीय कार्यों का जिन्हें शासन निगम को अन्तरित करे, निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना:
- (ग) जल खाद्य या औषधों के परीक्षण अथवा विश्लेषण के लिए रोगों का पता लगाने के लिए अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित गवेषणाओं के लिए रासायनिक या जिवाणु संबंधी प्रयोगशालाओं का संगठन तथा प्रबंध:
- (घ) सार्वजनिक सड़कों पर मनुष्यों के लिए पानी पीने के नल तथा पशुओं के लिए पानी की हौदियों का निर्माण तथा उनको व्यवस्थित रखना:
- (ङ) पशुओं के प्रति निर्दयता की रोक:
- (च) चौराहों, बागों तथा अन्य सार्वजनिक आश्रयस्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना:

- (छ) जनता के संवहन के लिए ट्राम गाड़ियों या मोटर यातायात की सुविधाओं का निर्माण कर, संगठन, व्यवस्था या प्रबंध:
- (ज) प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दी जाने वाली उपाधि की तैयारी तथा प्रस्तुति:
- (झ) आवारगर्दी की रोक दरिद्रियों की स्थापना करना तथा उनको व्यवस्थित रखना:
- (ञ) गन्दे पानी के निराकरण के लिए फार्म या कारखाने को स्थापित करना तथा उसको बनाये रखना:
- (ट) प्रसूतिगृहों तथा शिशु कल्याण केन्द्रों का संगठन तथा उनको व्यवस्थित रखना:
- (ड) तैरने के तालाब, सार्वजनिक प्रक्षालन गृह नहाने के स्थान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए अभिप्रेत अन्य संस्था:
- (ढ) नगर निवासियों के लाभार्थ दुग्ध या दुग्ध उत्पादनों के प्रदाय वितरण तथा प्रक्रिया के लिए नगर के भीतर या बाहर दुग्धशाला या प्रक्षेत्र:
- (ण) नगर के भीतर या बाहर ग्वाला बस्तियों तथा पशुओं के बाड़ों की स्थापना तथा नियंत्रण
- (त) विद्युत शक्ति या गैस के प्रदाय के लिये किसी उपक्रम का कर या किसी ऐसे उपक्रम का प्रारंभ किया जाना या उसे आर्थिक सहायता देना।
- (थ) नगर के भीतर या बाहर चरनोई भूमि की प्राप्ति तथा देखरेख
- (द) इस विधान या किन्हीं अन्य विधानों के जिनका प्रावर्तन निगम को सौंपा जावे किन्ही भी आदेशों प्रबंध नियमों या उनके अधिन स्थाई आज्ञाओं उल्लंघन के संबंध में सूचना देने के लिये पारितोषिक का दिया जाना।
- (ध) पशुओं या गाड़ियों के लिये स्वच्छ अस्तबलों या गैरिजों का निर्माण तथा उनकी व्यवस्था।
- (न) नगर में जनता को प्रभावित करने वाली किसी विपत्ति का सामना करने के लिये उपाय।
- (प) नगर में वास गृहों तथा छात्रावासों का नियमन।
- (फ) भवन निर्माण के आशयों के लिये या नगर पालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों के वाहन के कर के हेतु ऐसे निर्बंधनों तथा प्रतिबंधों पर ऋणों को दिया जाना जैसे कि निगम द्वारा 1 (उपविधियों द्वारा) नियत किये जाए।
- (ब) नगर पालिक सेवकों के कल्याण के लिये कोई अन्य उपाय।
- (भ) नगर के भीतर पीड़ित मानवों की सहायता के लिये या सार्वजनिक कल्याण के लिये निर्मित किसी भी सार्वजनिक निधि में अंशदान।
- (म) पूर्व प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना तथा उनकी व्यवस्था।
- (य) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों का स्थापित किया जाना तथा उनका व्यवस्थित रखा जाना और ऐसे अन्य साधनों का कार्यावित्त किया जाना जो कि सार्वजनिक चिकित्सीय सहायता के लिये आवश्यक हो।

- (र) कोई अन्य बात जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा अथवा जनता की सुविधा में उन्नति होने की संभावना हो।
- (ल) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
- (व) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
- (श) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना।
- (ष) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि।
- (स) समाज के कमजोर वर्गों के जिनकी अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मद व्यक्ति भी है हितों की रक्षा और।
- (ह) नगरीय निर्धनता का उन्मूलन।